<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवाबगंज बरेली।</u>

उपस्थित: अरूण गौतम (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

JO Code-3520

फौजदारी वाद संख्याः–1916/2011

CNR No.**UPBR30-000714-2011**

उ0प्र0 राज्य.....अभियोजन पक्ष।

बनाम

होरी लाल पुत्र बांके लाल, निवासी रत्ना नन्दपुर, थाना नवाबगंज,जिला बरेली।

.....अभियुक्त।

मु0अ0सं0–390/2004
अंतर्गत धारा–60/62 आयुध अधि0,
थाना–नवाबगंज, जिला–बरेली।

<u>निर्णय</u>

1. थाना–नवाबगंज, जिला बरेली की पुलिस द्वारा अभियुक्त होरी लाल के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–390/2004, अतर्गत धारा–60/62 आयुध अधि0, में विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा एचसीपी 60 चन्द्रपाल सिंह मय हमराहियान दिनांक 14.06.2004 को गश्त मे मामूर थे कि जरिये खास मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम नन्दपुर में एक आदमी अपनी खपरैल में कच्ची शराब की कसीदगी कर रहा है, तुरन्त देख लिया जाये तो मिल सकता है, इस सूचना विश्वास करके गवाहान फरहम करने की कोशिश की गयी तो भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ तो पुलिस वाले मौके पर पहुंचे तो मुखबिर इशारा करके चला गया, पुलिस वालों ने देखा कि एक व्यक्ति चूल्हे के लकड़ी जला रहा है जब इत्मिनान हो गया तो मौके पर पहुंचकर मौके पर एक व्यक्ति को पकड़ लिया उसके कब्जे से कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण को कब्जे में लिया गया और उसे जुर्म से अवगत कराते हुए उसे हिरासत पुलिस लिया और मौके पर फर्द की नकल तैयार कर उसे फर्द की नकल दी तथा थाने लाकर मुकदमा कायम कराया।

3. वादी मुकदमा की उक्त फर्द बरामदगी/तहरीर पर मु0अ0सं0 390/2004, अतर्गत धारा–60/62 आयुध अधि0, पंजीकृत कर बाद तमामी विवेचना व विवेचक द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र अंतर्गत धारा–60/62 आयुध अधि0, विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त द्वारा विधिवत् अपनी जमानत करायी गयी।

4. अभियुक्त न्यायालय हाजिर आया। अभियुक्त को अभियोजन अभिलेखों की नकलें प्रदान की गई। तदुपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 16.04.2005 को अन्तर्गत धारा–60/62 आयुध अधि0, के अपराध के तहत आरोप विरचित किया गया, जो उसे पढ़कर सुनाये तथा समझाये गये। अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया तथा विचारण की याचना की गई।

5. आरोप विरचन के उपरांत वर्ष 2005 से लगातार अभियोजन साक्षीगण के लगातार साक्ष्य हेतु आदेशिकाएं प्रेषित की जाती रहीं हैं, परन्तु लगभग 21 वर्षों का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु किसी साक्षी को साक्ष्य हेतु परीक्षित नहीं कराया जा सका है, जबकि न्यायालय कई बार अंतिम अवसर भी दिया जा चुका है तथा अभियुक्त लगातार न्यायालय उपस्थित आता रहा है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2026 को साक्ष्य अभियोजन समाप्त किया गया।

6. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने आरोपों का गलत होना कहा एवं झूठा मुकदमा चलने का कथन किया एवं सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने का कथन किया।

7. न्यायालय द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना की तिथि व समय पर अभियुक्त के कब्जे से डेढ़ बोतल कच्ची श्राब मय शराब बनाने के उपकरण बरामद किये।

9. अभियोजन को न्यायालय द्वारा वर्ष 2005 से लगातार अभियोजन कथानक को सिद्ध करने हेतु लगातार अवसर व तिथियां दी गयी हैं तथा न्यायालय द्वारा लगातार साक्षीगण को साक्ष्य हेतु आदेशिकाएं जारी की जाती रहीं है तथा 21 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु किसी साक्षी को साक्ष्य हेतु परीक्षित नहीं कराया जा सका है, जिससे मात्र पत्रावली में उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों से अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि तथ्य के साक्षी के द्वारा अभियोजन की कथित घटना को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित न की जाए।

10. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उपरोक्त विवेचना विश्लेषण के दृष्टिगत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है जिससे साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा आरोपित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त संदेह का लाभ पाने के हकदार है। ऐसी दशा में अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदत्त करते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

11. अभियुक्त होरी लाल को फौजदारी वाद सं0–1916 सन 2011, मु0अ0सं0–390/2004, थाना–नवाबगंज, जिला बरेली के मामले में धारा–60/62 आयुध अधि0, के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं। उसके व्यक्तिगत बंध पत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते है तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।
12. अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में बीस हजार के एक जमानती व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल किया जाये, जो अपील की अवधि तक यथास्वरूप प्रभावी रहेंगे तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस किये जाने पर अभियुक्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। अभियुक्त के अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने की स्थिति में उनके जमानतनामे एवं निजी बंधपत्र नियमानुसार जब्त किये जाने योग्य होंगे।

(अरूण गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवाबगंज,
बरेली। JO Code-3520

दिनांकः–08.06.2026

उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(अरूण गौतम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवाबगंज,
बरेली। JO Code-3520

दिनांकः–08.06.2026